न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 14/2014 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कुन्दन पुत्र भोजू जाति माली निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर
..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. मंगतू पुत्र गिलची जाति माली निवासी ग्राम अलावड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर – फौत
1/1. लल्लूराम पुत्र मंगतू जाति माली निवासी ग्राम अलावड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।
1/2. आनन्दी पत्नि दयाली जाति माली निवासी नगर कल्लू भंगी मोहल्ला जिला भरतपुर ।
1/3. सोमोती पत्नि कैलाश जाति माली निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर ।
..... प्रतिवादी/रेस्पो0
2. बसन्ती पुत्री भोजू जाति माली,
3. धूपन पुत्री भोजू जाति माली,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ (लैण्ड होल्डर)
5. उप पंजीयक रामगढ ।
.....तरतीबी रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राकेश यादव अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 21.02.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 1951 रकबा 0.47, 1958 रकबा 0.16, 1960 रकबा 0.35, 2232 रकबा

0.66, 2235 रकबा 0.69, 1973 रकबा 0.34 जिनके हाल सैटलमेन्ट से पूर्व गत ख0 नं0 1205, 1207, 1218, 1303, 1311 थे तथा सम्वत् 2020 से पूर्व गत ख0 नं0 1205, 1207, 1224, 1061 वाके ग्राम अलावड़ा थे जिनमें प्रार्थी के दादा सिक्सन की खातेदारी थी तथा सिक्सन के 4 पुत्र मोती, मवासी, गिलची व भोजू पुत्रान सिक्सन जिनमें से मोती की शादी नहीं हुई तथा मवासी के एक लड़की पैदा हुई थी जो फौत हो गयी । इस प्रकार मोती व मवासी के कोई जायज वारिस नहीं थे । मोती व मवासी का 1/4–1/4 हिस्सा था जो स्वतः ही गिलची व भोजू को विरासत में मिलना चाहिए था परन्तु गिलची ने बड़ी चालाकी से उक्त दोनों की हिस्से की आराजी को अपने नाम गलत तथ्यों के आधार पर विरासत दर्ज करवा ली जो कानूनन गलत व खिलाफ मौका है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, बय, हिबा न करें तथा उक्त विवादित आराजी को किसी भी दीगर व्यक्ति को मुन्तकिल व मकसूद ना करें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 21.02.2014 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 21.02.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस में दावे और अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलांट/वादी ने बन्दोबस्त विभाग की गलती के कारण दावा खातेदारी का किया है । अपीलांट व रेस्पो0 के पिता व दादा सिक्सन थे । सिक्सन के 4 लड़के मोती, मवासी, गिलची व भोजू थे । मोती व मवासी लाऔलाद फौत हो गये । इनकी विवादित आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा समाप्त होने से वादी/अपीलांट और प्रतिवादी/रेस्पो0 को 1/2–1/2 के विरासतन अधिकार हो गये थे परन्तु गिलची ने बड़ी चालाकी से उक्त दोनों के हिस्से की आराजी को अपने नाम गलत तथ्यों के आधार पर विरासतन दर्ज करवा ली जो खिलाफ कानून व मौका है । पैतृक सम्पति में कथित वसीयत खिलाफ कानून है जो फर्जी वसीयत की श्रेणी में आती है । बहस में आगे कहा कि अपीलांट कुन्दन भोजू का लड़का है । रेस्पो0 मंगतू, गिलची का पुत्र है जो दौराने कार्यवाही वाद/अपील फौत हो गया है ।

बहस में आगे कहा कि रेकार्ड में इन्द्राज बदल गये है । गिलची ने दोनों मृतक भाईयों का गलत रूप से 1/4–1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि अपीलांट व रेस्पो0 के पिताओं का 1/2–1/2 हिस्सा होता है । रेस्पो0 ने वाद में पेश जवाब का हवाला देते हुए अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि मोती ने मंगतू के नाम वसीयत होना रेस्पो0 बता रहे हैं और मवासी का हिस्सा उत्तराधिकार से बता रहे हैं । इस प्रकार इस आराजी में रेस्पो0 गिलची व उसके पुत्र मंगतू 3/4 हिस्से के खातेदार हो गये हैं और अपीलांट कुन्दन व उसके पिता भोजू के नाम 1/4 हिस्सा ही खातेदारी में रह गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में इन्तकाल सं0 773 का हवाला नहीं दिया जिससे यह

आराजी पैतृक सिद्ध होती है । दि0 1.6.1941 का यह इन्तकाल है जो सिक्सन ने उसके चारों पुत्रों को सम्पति विरासतन हस्तान्तरित करता है । इस इन्तकाल में ख0 नं0 1224 का हवाला है जो सन् 1941 का है । सम्वत् 2020 में इसका नया नम्बर 1218 बना है तथा सम्वत् 2058 में इसका नया नम्बर 1973 बना है । कथित वसीयत पैतृक सम्पति की है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जन्म से ही अपीलांट का भी उसमें हिस्सा है । इस संबंध में कानूनी नजीरें ए.आई.आर. 2013 पेज 3525 का हवाला दिया है । वसीयत का अवलोकन कराया जिसमें एक बिन्दू यह अंकित किया है कि इस वसीयत की तहरीर से पूर्व एक हिब्जनामा (हिब्बेनामा) तहरीर किया है जो रजिस्टर्ड नहीं था । अब रजिस्टर्ड करवाया है । बहस में कथन किया कि यह गिफ्ट डीड नल एण्ड वोईड है क्योंकि यह रजिस्टर्ड नहीं है । दस्तावेजों से यह सम्पति पैतृक सिद्ध होती है । सन् 1994 की जमाबन्दी में चारों भाईयों को जो सिक्सन के पुत्र हैं का 1/4–1/4 हिस्सा दर्शाया हुआ है । खसरा नम्बर तत्कालीन 1207 रकबा 1.10 बीघा पैतृक सम्पति सिद्ध करता है । इसके अलावा साबिक ख0 नं0 12267, 2022, 1224 पैतृक सम्पति सिद्ध करते हैं, जमाबन्दी सम्वत् 1994 व 1997 पेश की है ।

अतः विवादित आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि दावे के अंतिम निस्तारण होने तक स्थगन आदेश को स्थायी किया जाना चाहिए । धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जब तक कि मूल वाद का निस्तारण न हो ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कहा कि विवादित आराजी दादा सिक्सन की नहीं हैं और न ही यह विवादित आराजी पैतृक ही है जो आराजी पैतृक है वह उभयपक्षों को समान रूप से प्राप्त हुई है । बहस जवाब में आगे कहा कि अपीलांट ने ऐसा कोई भी रेकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि रेस्पो0 के नाम विवादित आराजी विरासतन 3/4 हो गयी हो । वादी/अपीलांट ने जिस अंतिम जमाबन्दी के आधार पर दावा व अपील पेश की है वे ख0 नं0 हाल 1951 रकबा 0.47, 1958 रकबा 0.16, 1960 रकबा 0.38, 2332 रकबा 0.66, 2335 रकबा 0.69 व 1973 रकबा 0.34 किता 6 हैं । इन खसरा नम्बरान के संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि ख0 नं0 2332 रकबा 0.69 है0 (69 ऐयर) जो कि सम्वत् 2058 के बन्दोबस्त से पूर्व ख0 नं0 1311 रकबा 2.14 बीघा है को रेस्पो0 ने नन्दलाल से रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदा है जिसका नामान्तकरण सं0 1337 है । सम्वत् 2046 की जमाबन्दी में इसका नोट अंकित है । इसका रेकार्ड अवलोकन करें जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है ।

ख0 नं0 1951 के संबंध में कहना है कि इसका साबिक ख0 नं0 1205 रकबा 1.17 बीघा है और इससे पूर्व भी इसका साबिक ख0 नं0 1205 ही था । हाल ख0 नं0 1958 जिसका सम्वत् 2058 में साबिक ख0 नं0 1207 रकबा 13 बिस्वा है और उससे पूर्व साबिक ख0 नं0 1205 मिन रकबा 13 बिस्वा रहा है । बहस जवाब में कहा कि ये दोनों ख0 नं0 1951 व 1958 हाल जिनके पूर्व साबिक ख0 नं0 1205 हैं । ये दोनों खसरा नम्बर इन्तकाल सं0 773 के भाग नहीं हैं । इन्तकाल सं0 773 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाता सं0 303 में ख0 नं0 1228 रकबा 12 बिस्वा लिखा है । साबिक जमाबन्दी सम्वत् 1997 में खाता सं0 306 में किता 4 रकबा 5.067 बीघा इसमें भी कहीं भी ख0 नं0 1205 नहीं है । बहस

जवाब में आगे कहा कि इन तीन खसरा नम्बरान का रेकार्ड एवं अपीलांट अभिभाषक की बहस में मेल नहीं खा रहा है । ये जादू पुत्र पैमा चमार के नाम है । आराजी ख0 नं0 1973 हाल यह वसीयत से नहीं आना बताया और कहा कि इसका साबिक ख0 नं0 1218 है और 1218 का भी साबिक ख0 नं0 1224 था । वसीयत से खोला गया इन्तकाल सं0 217 उसमें ये खसरा नम्बर अंकित नहीं हैं ।

बहस जवाब में आगे कहा कि केवल यह कहना कि विवादित आराजी में उन्हें 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए जो 1/4 ही मिला है और रेस्पो0 को 3/4 मिल गया, तर्कसंगत नहीं है । पैतृक सम्पति को सिद्ध करना पड़ेगा कि किस प्रकार से कहा से आयी है । जवाब में आगे कहा कि आराजी ख0 नं0 2332 जिसका साबिक ख0 नं0 1303 है और इससे पूर्व के साबिक ख0 नं0 1124 है ये भी जमाबन्दी सम्वत् 1997 एवं इन्तकाल सं0 773 में अंकित नहीं हैं । यह आराजी पैतृक नहीं है तथा रेस्पो0 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है । बहस जवाब में आगे कहा कि साबिक ख0 नं0 1205 की जो जमाबन्दी पेश की है वह जमाबन्दी जादू वल्द पैमा चमार के नाम से है । राजू वगै0 नाम है । इस प्रकार से यह इन्तकाल सं0 773 का हिस्सा नहीं है । जमाबन्दी सम्वत् 1997 के खाता सं0 149 में साबिक ख0 नं0 1224 है जबकि विवादित साबिक ख0 नं0 1124 का है । जमाबन्दी सम्वत् 1997 के खाता सं0 306 में सबिक ख0 नं0 1142, 1207, 1227 व 2022 है । इसमें ख0 नं0 1207 मुझे वसीयत से प्राप्त होना बताया है । बहस जवाब में आगे कहा कि रेस्पो0 अभिभाषक ने भी अपील में आदेश 41 नियम 27 के तहत मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2020 पेश की है । इसमें अंकित साबिक ख0 नं0 2022 का नया नम्बर ख0 नं0 1102 है ये चारों की खातेदारी में था, परन्तु यह रेस्पो0 को नहीं मिला है । जमाबन्दी सम्वत् 2020 खाता सं0 185 में अंकित ख0 नं0 1211 रकबा 1.10 बीघा के संबंध में बहस जवाब में रेस्पो0 अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि अपीलांट ने यह नहीं बताया कि सिक्सन की कौन–कौनसी जमीन कहां–कहां पर किसकी खातेदारी में गयी है जो व्यक्ति जहां काश्त में बैठा था तथा टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानानुसार उन्हें खातेदारी प्राप्त हो गयी है । बहस जवाब में आगे कहा कि चारों भाई अलग–अलग रकबे के खातेदार थे या हिस्सेदार थे तो भी उन्हें अपने हिस्से की आराजी की किसी को भी वसीयत करने का अधिकार था । मोती की वसीयत पर उसके बच्चे ही आपत्ति कर सकते हैं, अन्य को अधिकार नहीं है । रजिस्टर्ड वसीयत को चुनौती नहीं दी जा सकती है । आगे बहस जवाब में कहा कि वसीयत को नल एण्ड वोईड घोषित करने की अपीलांट की वाद में कोई प्रार्थना नहीं है । दावे की रिलीफ से बाहर कोई रिलीफ पाने के हकदार नहीं होने तथा विवादित आराजी को पैतृक सिद्ध नहीं करने पर अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

जवाब बहस का जवाब देते हुए अपीलांट अभिभाषक का कहना है कि वसीयत को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व अदालत को नहीं है । अतः यह रिलीफ नहीं चाही गयी है । मुख्य बिन्दु ये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक होना नहीं माना है, जबकि यह पैतृक आराजी है । आगे कहा कि इन्तकाल सं0 1773 सिक्सन की विरासत का है तथा इसमें ख0 नं0 1207 शामिल है । जवाब में कोई विकयपत्र पेश नहीं किया तथा अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत कोई जवाब या बहस नहीं की है । ख0 नं0 2335 के संबंध में कहा कि यह रेस्पो0 को कहां से मिली ये नहीं बताया । ख0 नं0 1205 से बने हाल

खसरा नम्बर का विवरण बहस में दिया है । इसी प्रकार ख0 नं0 1960 का हवाला दिया है । जन्म से ही पैतृक सम्पति होने पर अपीलांट का अधिकार है । बहस जवाब में कहा ख0 नं0 2332 के संबंध में कहना है कि यह पैतृक सम्पति है या नहीं, ये तो दावे में तय होगा । ख0 नं0 1224 इन्तकाल में ही दर्ज होने से पैतृक सिद्ध होती है । अतः हाल 6 खसरा नम्बर में अपीलांट का प्राईमाफैसी केस होने तथा विवादित आराजी पैतृक होने से वाद के निस्तारण तक प्रोटेक्ट किये जाने बाबत जारी स्थगन आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की ।

पुनः रेस्पो0 अभिभाषक ने कुछ बिन्दुओं पर जवाब दिया कि ख0 नं0 1960 के बदले रेस्पो0 को ज्यादा जमीन हिस्से में गयी है । ख0 नं0 2335 के लिए कहा कि विक्रय पत्र से आयी है । यह जमीन नन्दलाल से खरीद की है । जमाबन्दी सम्वत् 2046 के इन्तकाल सं0 1337 में नोट है । अन्त में यह कहते हुए कि अपीलांट ने मवासी की शेष जमीन का हवाला नहीं दिया कि वह किसे गयी है, के आधार पर भी अपील खारिज करने की प्रार्थना की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वाद के तथ्यों तथा अपील मीमों के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय और इस न्यायालय में पेश साबिक व हाल रेकार्ड का भी अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.2.2014 का अवलोकन करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

वाद के तथ्य तथा अपीलीय बिन्दुओं तथा उभयपक्ष के बहस के बिन्दुओं के आधार पर यह तथ्य आता है कि अपीलांट अभिभाषक विवादित आराजी को पैतृक आराजी मानकर मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी पर स्थगन आदेश चाहते हैं कि आराजी मुतनाजा को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किया जावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

रेस्पो0 अभिभाषक अपने वाद के जवाब दावा के बिन्दुओं तथा पेश साबिक रेकार्ड और बहस के माध्यम से वाद वादी जो पेश हुआ है, उसके तथ्यों को सही नहीं मानते है । पक्षकारान के दादा सिक्सन की समस्त आराजी कहा व किसके पास किस प्रकार से गयी है । ये स्पष्ट तथ्य पेश किये बिना अपीलांट किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकता है । रेस्पो0 अभिभाषक ने विवादित आराजी उन्हें जरिये वसीयत व बयनामा से आना जाहिर किया है । इसलिए पैतृक आराजी नहीं होने से किसी प्रकार के अस्थायी स्थगन जारी करने से मना करते हुए अपील खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

न्यायालय के मत में इन्हीं बिन्दुओं से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन विषय निर्णित किये जाने हैं ।

विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान व साबिक खसरा नम्बरान क्रमशः निम्नानुसार मुताबिक रेकार्ड हैं –

क्र.सं.	हाल खसरा नम्बर/रकबा	सम्वत् 2020 के साबिक खसरा नम्बर/रकबा	सम्वत् 2020 से पूर्व साबिक ख0नं0/रकबा
1.	1951/0.47 है0	1205/1.17 बीघा	1205/1.17 बीघा
2.	1958/0.16 है0	1207/0.13 बीघा	1205 मिन/0.13 बीघा
3.	1960/0.38 है0	1211/1.10 बीघा	1207/1.10 बीघा
4.	2332/0.66 है0	1303/2.12 बीघा	1124/2.12 बीघा
5.	2335/0.69 है0	1311/2.14 बीघा	1061/2.14 बीघा
6.	1973/0.34 है0	1218/1.07 बीघा	1224/1.07 बीघा

जहां तक साबिक रेकार्ड रजिस्टर दाखिल खारिज (नामान्तकरण सं0 773) दि0 1.6.1941 के अनुसार ख0 नं0 1224 रकबा 1.07 बीघा, 1228 रकबा 0.12 बीघा सिक्सन से उसके 4 पुत्रों गिलची, मवासी, मौजा व मोती के नाम दर्ज हुआ है । जमाबन्दी 1997 के खाता सं0 149 के अनुसार साबिक आराजी ख0 नं0 1224 में मंगतू वल्द गिलची 1/4 तथा मवासी, मौजा, मोती पि0 सिक्सन 3/4 में दर्ज रेकार्ड हैं । इसमें नामान्तकरण सं0 773 का इन्द्राज है । जमाबन्दी सम्वत् 1997 खाता सं0 306 में ख0 नं0 1142 रकबा 1.11 बीघा, 1207 रकबा 1.10 बीघा, 1227 रकबा 1.10 बीघा, 2022 रकबा 0.18 बीघा में मंगतू वल्द गिलची 1/4, मवासी, मौजा, मोती पि0 सिक्सन 3/4 हिस्सा विरासत नामान्तकरण सं0 773 से दर्ज है । साबिक जमाबन्दी सम्वत् 1997 के खाता सं0 690 के साबिक ख0 नं0 1205 रकबा 2.10 बीघा में जादू वल्द पैमा चमार दर्ज रेकार्ड है ।

रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश साबिक रेकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2020 के खाता सं0 220 के साबिक ख0 नं0 1212 रकबा 1.10 बीघा के मोती पुत्र सिक्सन, मंगतू पुत्र गिलची बहिस्सा बराबर 1/2 तथा मौजा पुत्र सिक्सन 1/2 खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2029 के खाता सं0 219 से ख0 नं0 1163 रकबा 1.11 बीघा, 1205 रकबा 1.17 बीघा, 1207 रकबा 0.13 बीघा, 1211 रकबा 1.10 बीघा, 1218 रकबा 1.07 बीघा में मोती पुत्र सिक्सन, मंगतू पुत्र गिलची सा0देह दर्ज हैं । बन्दोबस्त सम्वत् 2020 की जमाबन्दी सम्वत् 2020 के खाता सं0 179 से ख0 नं0 1102 रकबा 0.18 बीघा मौजा पुत्र सिक्सन दर्ज है । खाता सं0 185 से ख0 नं0 1163 रकबा 1.11 बीघा, 1205 रकबा 1.17 बीघा, 1207 रकबा 0.13 बीघा, 1211 रकबा 1.10 बीघा, 1218 रकबा 1.07 बीघा मोती पुत्र सिक्सन, मंगतू पुत्र गिलची कौम माली सा0देह दर्ज है । खाता सं0 186 के ख0 नं0 1212 रकबा 1.10 बीघा में मोती पुत्र सिक्सन, मंगतू पुत्र गिलची बहिस्सा 1/2 मौजा पुत्र सिक्सन 1/2 हिस्सा दर्ज है । खाता सं0 453 के ख0 नं0 1303 रकबा 2.12 बीघा में मोती वल्द सिक्सन, मंगतू वल्द गिलची कौम माली सा0देह दर्ज है ।

उपरोक्त के अलावा जमाबन्दी सम्वत् 2046 खाता सं0 262 ख0 नं0 1311 रकबा 2.14 बीघा पदम पुत्र नन्दलाल कौम खाती के नाम दर्ज है जो इन्तकाल सं0 1337 से बहक मंगतू पुत्र गिलची के नाम दर्ज है ।

नामान्तकरण पंजिका (नामान्तकरण सं0 217) दि0 6.6.1975 के अनुसार खाता सं0 185 के ख0 नं0 1103 रकबा 1.11 बीघा, 1205 रकबा 1.17 बीघा, 1207 रकबा 0.13 बीघा, 1211 रकबा 1.10 बीघा किता 4 रकबा 5.11 बीघा, खाता सं0 453 ख0 नं0 1303 रकबा 2.12 बीघा व 186 खाता के ख0 नं0 1212 रकबा 1.10 बीघा मोती पुत्र सिक्सन का हिस्सा बजरिये वसीयतनामा मंगतू पुत्र गिलची के नाम दर्ज रजिस्टर हुआ है ।

उपरोत रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं0 773 दि0 1.6.1941 में साबिक ख0 नं0 1224 रकबा 1.07 बीघा व 1207 रकबा 1.10 बीघा विरासत से सिक्सन के बाद उनके वारिसान को दर्ज रेकार्ड हुए हैं । इसके साथ ही अन्य खसरा नम्बरान भी है जो वाद/अपील में नहीं है जिन पर भी विरासतन रेकार्ड दर्ज है । इस प्रकार से जमाबन्दी सम्वत् 2066 के अनुसार केवल दो ख0 नं0 हाल 1960 व 1973 का ही विवाद पाया जाता है, शेष साबिक खसरा नम्बर हाल 1951, 1958, 2332 व 2335 का ऐसा कोई

रेकार्ड पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर होता हो कि ये आराजी सिक्सन की खातेदारी में रही है । सम्वत् 2012 जब राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब का कोई रेकार्ड पेश नहीं है कि किस–किस को किस प्रकार से किन खसरा नम्बरान पर टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आते ही खातेदारी प्राप्त हुई है । सम्वत् 2020 की बन्दोबस्त की जमाबन्दी के अनुसार साबिक ख0 नं0 1207 मोती पुत्र सिक्सन व मंगतू पुत्र गिलची के नाम एवं बकाश्त मंगतू दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत् 2009 के खाता सं0 795 के अनुसार ख0 नं0 1207 रकबा 1.10 बीघा मंगतू वल्द गिलची 1/4 तथा मवासी, मौजा, मोती पि0 सिक्सन 3/4 हिस्सा एवं बकाश्त मोती, मवासी बहिस्से बराबर दर्ज रेकार्ड है ।

इस प्रकार से उपरोक्त रेकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्ट्या राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय आराजी पर जिसकी काश्त थी उस आधार पर आगे खातेदारी प्राप्त होना अवगत होता है । द्वितीय बिन्दु ये भी है जिसे रेस्पो0 अभिभाषक ने दौराने बहस उठाया है कि अन्य खसरा नम्बरान का हवाला नहीं दिया जो अपीलांट की खातेदारी में आये हैं । रेस्पो0 को शेष आराजी जरिये बयनामा व रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर आना जाहिर होता है । अन्य खसरा नम्बर 1951, 1958, 2332, 2335 के संबंध में तो पैतृक सम्पति का कोई रेकार्ड पेश ही नहीं है । शेष दो नम्बरान 1960 व 1973 में भी आर.टी.एक्ट लागू होने के समय बकाश्त के आधार पर आगे खातेदारी मिलना जाहिर हुआ है तो ऐसी स्थिति में इतने लम्बे समय से रह रहे उक्त आराजी के खातेदार को किसी प्रकार की खातेदारी से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है । इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का निर्णय दिनांक 21.02.2014 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/11/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर